

संपादकीय

आरटीई की रकम अटकी तो गरीब का सपना भी अटका

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून, 2009 का उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। इसी सोच के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं और सरकार ने इन विद्यार्थियों को फीस का भुगतान करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन मध्यप्रदेश में पिछले दो वर्षों से यह व्यवस्था गंभीर संकट में है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण कई स्कूल आरटीई के तहत नए प्रवेश देने से बच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब परिवारों को उठाना पड़ रहा है, जिनके बच्चों के लिए यही योजना बेहतर शिक्षा का एकमात्र माध्यम थी।

उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में आरटीई के तहत आवेदन और प्रवेश दोनों में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2021–22 में लगभग 2.84 लाख आवेदन आए थे और करीब 1.29 लाख बच्चों को प्रवेश मिला था। वहीं 2025–26 में आवेदन घटकर लगभग 1.67 लाख रह गए और प्रवेश केवल 78 हजार के आसपास सिमट गए। यह स्थिति किसी के हित में नहीं बंद करने की चेतावनी दी है।

निजी स्कूलों की अपनी व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार से मिलनी होती है। यदि वर्षों तक भुगतान लंबित रहे तो स्कूलों के लिए शिक्षकों का वेतन, बिजली-पानी का खर्च, पुस्तकें और अन्य व्यवस्थाएं बनाए रखना कठिन हो जाता है। ऐसे में कई संस्थानों ने आरटीई सीटों पर प्रवेश सीमित करने या बंद करने की चेतावनी दी है। यह स्थिति किसी के हित में नहीं है।

दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की चुनौतियां भी किसी से छिपी नहीं हैं। अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और गुणवत्ता से जुड़े प्रश्न आज भी बने हुए हैं। आरटीई का उद्देश्य ही यह था कि गरीब बच्चों को भी निजी विद्यालयों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। यदि निजी स्कूल पीछे हटेंगे तो इस कानून की भावना कमजोर पड़ जाएगी। सरकार का तर्क है कि बजट और फंड की कमी के कारण भुगतान नहीं हो सका। लेकिन शिक्षा पर खर्च को व्यय नहीं, बल्कि भविष्य में निवेश माना जाना चाहिए। यदि बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी तो उसका असर आने वाले वर्षों में रोजगार, सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति पर भी पड़ेगा। शिक्षा में निवेश का लाभ पूरे समाज को मिलता है।

अब आवश्यकता है कि सरकार लंबित प्रतिपूर्ति शीघ्र जारी करे और भुगतान की स्थायी एवं समयबद्ध व्यवस्था बनाए। फीस की दरों की भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप समीक्षा होनी चाहिए, ताकि निजी स्कूलों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। साथ ही पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, जिससे यह स्पष्ट रहे कि भुगतान किस स्तर पर लंबित है। शिक्षा केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। आरटीई कानून गरीब बच्चों को समान अवसर देने का माध्यम है। यदि आर्थिक कारणों से यह व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का होगा, जिनके सपनों का आधार यही कानून है। सरकार, निजी स्कूल और समाज-तीनों की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को जीवित रखें, क्योंकि शिक्षा पर किया गया निवेश ही भविष्य के सशक्त और उभड़ते भारत की सबसे मजबूत नींव है।

आजकल

सड़क पर हर दिन मौत का तांडव परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल सुधार जरूरी

मध्यप्रदेश की सड़कों पर हर दिन होने वाले हादसे अब गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में राज्य में हजारों सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और हजारों ने अपनी जान गंवाई। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद इन्हें सामान्य घटना मानकर भुला दिया जाता है। इन हादसों के पीछे कई कारण हैं। खराब सड़कें, ब्लैक स्पॉट की अनदेखी, संकेतकों की कमी, बढ़ते वाहनों के मुकाबले कमजोर यातायात व्यवस्था और सबसे बढ़कर मानवीय लापरवाही। तेज रफतार, नशे में वाहन चालाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना तथा मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना आज आम बात हो गई है। कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है।

समाधान केवल सड़कें चौड़ी करने में नहीं, बल्कि सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित करने में है। सरकार को हर जिले के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनका तत्काल सुधार करना चाहिए। हाईवे पर स्पीड कैमरे और स्वचालित चालान प्रणाली लागू की जाए। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य बनाई जाए तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही सड़कों का नियमित सुरक्षा ऑडिट, बेहतर रोशनी, रंबल रिट्रप और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूत करना होगा। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सुरक्षित और भरोसेमंद बस तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निजी वाहनों का दबाव कम करेंगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। जब तक नियमों का पालन सामाजिक संस्कार नहीं बनेगा, तब तक सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी। मानव जीवन अनमोल है और उसे बचाने के लिए कानून, तकनीक और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार-तीनों का साथ जरूरी है। तभी सड़कों पर मौत के इस तांडव पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

देश के राज्यों की आर्थिक स्थिति आज ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक ओर जनता को राहत देने के नाम पर मुफ्त योजनाओं की बाढ़ है और दूसरी ओर सरकारी खजाने पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा रिपोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा में घोंपित हो जा रही लोकलुभावन योजनाएं अब कई राज्यों के लिए गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बिना ठोस वित्तीय योजना के मुफ्त सुविधाएं बांटने और लगातार कर्ज लेने की प्रवृत्ति ने अनेक राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है। यदि समय गते वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाया गया, तो आने वाले वर्षों में कई राज्यों के लिए वेतन, पेंशन और विकास कार्यों का खर्च उठाना भी कठिन हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्यों के बीच यह प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कि कौन अधिक मुफ्त सुविधाएं दे सकता है। मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना, झारखंड में

सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या बनी चिंता

इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक तो दी, लेकिन उसके अभाव और बार-बार बदलते मौसम के कारण बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में पिछले पंद्रह दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में अचानक होने वाले बदलाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा असर डाल रहे हैं, जिससे लोग तेजी से वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।

पिछले वर्ष इसी समय तक अच्छी बारिश हो चुकी थी, जिससे तापमान सामान्य बना हुआ था और वातावरण में नमी का स्तर भी संतुलित था। इस बार बारिश नहीं होने से दिन में तेज धूप और रात में ठंडक का माहौल बन रहा है। सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जबकि दोपहर में उमस और गर्मी बढ़ जाती है। इसी उतार-चढ़ाव ने वायरल संक्रमण को बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब एक ही दिन में तापमान में आठ से दस डिग्री तक का अंतर आता है, तो शरीर को उसके अनुरूप ढलने में समय लगता है। इसी दौरान वायरस आसानी से हमला कर देते हैं और सर्दी, खांसी, गले में खराश तथा हल्के बुखार जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं।

अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ती भीड़ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सरकारी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में प्रतिदिन

अधूरी नींद से बढ़ रहा डिमेंशिया का खतरा युवा भी चपेट में, 15 से 30 वर्ष की उम्र में भी बढ़ रही भूलने की समस्या

आज के दौर में नींद सबसे अधिक उपेक्षित होती जा रही है। देर रात तक जागना, अनियमित समय पर सोना और सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाना अब सामान्य दिनचर्या बन चुकी है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अधूरी नींद केवल थकान और चिड़चिड़ापन ही नहीं लाती, बल्कि धीरे-धीरे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाती है। ताजा शोध और विशेषज्ञों के अनुसार, अपर्याप्त नींद और असंतुलित जीवनशैली के कारण डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी अब युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रही है। पहले इसे केवल बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग में भी भूलने की समस्या के मामले सामने आ रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार, नींद के दौरान मस्तिष्क स्वयं को साफ करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसे मस्तिष्क का प्राकृतिक क्लीनअप सिस्टम माना जाता है। जब व्यक्ति प्रतिदिन छह से आठ घंटे की गहरी नींद लेता है, तब मस्तिष्क बीटा-एमिलॉयड और टाउ प्रोटीन जैसे हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। यही प्रोटीन अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से जुड़े माने जाते हैं। यदि नींद पूरी नहीं होती, तो यह सफाई प्रक्रिया बाधित हो जाती है और ये तत्व मस्तिष्क में जमा होने लगते हैं। समय के साथ इससे याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, एकाग्रता घटती है और भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिमेंशिया के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। कॉलेज के विद्यार्थी, आईटी क्षेत्र के कर्मचारी और युवा उद्यमी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। देर रात तक स्क्रीन के सामने बैठना, अत्यधिक कार्यभार और नींद को महत्व न देना युवाओं के मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग नियमित रूप से छह घंटे से कम सोते हैं, उनमें कम उम्र में ही याददाश्त संबंधी समस्याएं विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।

अधूरी नींद के संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। यदि बार-बार



तीन सौ से अधिक मरीज सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों का आपसी संपर्क बढ़ा है और बदलते मौसम में वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई बच्चों को लगातार पांच से छह दिन तक बुखार बना हुआ है। इसके साथ ही उल्टी और दस्त की शिकायत भी सामने आ रही है। बुजुर्गों की स्थिति अधिक गंभीर है, क्योंकि उनमें पहले से ही सांस, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां होती हैं, जिन पर मौसम का बदलाव अतिरिक्त असर डालता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बरसात नहीं होने से हवा में धूल और प्रदूषण के

बीमारी की कतार में अस्पताल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बरसात नहीं होने से हवा में धूल और प्रदूषण के कणों की मात्रा बढ़ गई है। नमी की कमी के कारण ये कण लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं और सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे एलर्जी, अस्थमा और साइनस के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। रात की ओस और सुबह की ठंडी हवा गले तथा नाक को प्रभावित कर रही है।

कणों की मात्रा बढ़ गई है। नमी की कमी के कारण ये कण लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं और सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे एलर्जी, अस्थमा और साइनस के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। रात की ओस और सुबह की ठंडी हवा गले तथा नाक को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि सुबह और शाम घर से निकलते समय हल्के गर्म कपड़े पहनें तथा ठंडा पानी पीने से बचें, क्योंकि शरीर के तापमान में अचानक बदलाव से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

फार्मसी और मेडिकल स्टोरों पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। बुखार, सर्दी और खांसी की दवाओं की मांग में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई

है। पैरासिटामोल, सिट्रिजिन और खांसी की सिरप की बिक्री सबसे अधिक हो रही है। कुछ स्थानों पर दवाओं का स्टॉक कम होने की शिकायत भी मिली है। केमिस्टों का कहना है कि अनेक लोग बिना डॉक्टर की सलाह के स्वयं दवा खरीदकर खा रहे हैं, जो खतरनाक हो सकता है। वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया के शुरुआती लक्षण कई बार एक जैसे होते हैं, इसलिए बिना जांच के दवा लेना जोखिम बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा है। डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि बुखार के प्रत्येक मरीज की सावधानीपूर्वक जांच की जाए तथा आवश्यकता अनुसार

ड्रोन उड़ेगा गांव में, हक मिलेगा घर का तहसीलदार के हथ में आगूी रजिस्ट्री की ताकत

गांव की मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं रहेगी, वह अब कागज पर भी हक बनकर दर्ज होगी। केंद्र और राज्य सरकार की स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत की उस पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी-जमीन हमारी, लेकिन मालिकाना हक का प्रमाण नहीं। इस असुरक्षा को अब खत्म करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में इस योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है और अब गांवों में संपत्ति की रजिस्ट्री तहसील स्तर पर ही हो सकेगी। तहसीलदार को यह अधिकार देकर सरकार ने न केवल प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि लगभग 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

स्वामित्व योजना का अर्थ है सर्वे ऑफ़ फ़िजिकल एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। आसान भाषा में कहें तो ड्रोन गांवों के ऊपर उड़कर प्रत्येक घर, गली और भूखंड का सटीक डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे। पुराने अभिलेखों की उलझन, वर्षों से चले आ रहे विवाद और पटवारी के चक्कर धीरे-धीरे समाप्त होंगे। उनकी जगह संपत्ति कार्ड मिलेगा, जो बैंक से ऋण लेने, न्यायालय में स्वामित्व सिद्ध करने और अन्य सरकारी कार्यों में वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या यह रही कि आबादी क्षेत्र की जमीन का स्पष्ट कानूनी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। लोग वर्षों से अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। इसका असर आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर पड़ता था। बैंक ऋण देने से बचते थे, पारिवारिक जरूरतों के समय आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था और जमीन से जुड़े विवाद गांवों में तनाव का बंदर मलेगी और विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी कि नहीं। बैंक ऋण देने से बचते थे, पारिवारिक जरूरतों के समय आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था और जमीन से जुड़े विवाद गांवों में तनाव का

बंदर समाप्त करना नहीं है। जरूरतमंदों को सहायता मिलनी ही चाहिए, लेकिन सहायता लिखित और वित्तीय रूप से टिकाऊ होनी चाहिए। पहला कदम यह होगा चाहिए कि योजनाओं का लाभ केवल वारसविक पात्रों तक सीमित न हो। दूसरा, राज्यों को अपने राजस्व स्रोत मजबूत करने होंगे। तीसरा, केंद्र और राज्यों को मिलकर ऐसी वित्तीय अनुशासन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिसके तहत किसी भी नई योजना की घोषणा से पहले उसके खर्च और वित्तीय स्रोत का स्पष्ट आकलन अनिवार्य हो। जनता को भी यह समझना होगा कि अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन जरूरी है। आरबीआई की यह रिपोर्ट समय रहते चेतने का अवसर है। यदि वित्तीय अनुशासन और विकास के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो बढ़ता कर्ज आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

मलेरिया और अन्य जरूरी जांच कराई जाए। अस्पतालों में बुखार वार्ड और आइसोलेशन बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि जिन बच्चों में सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण हों, उन्हें घर भेजा जाए और विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

घरेलू स्तर पर भी सावधानी बेहद जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हल्का गर्म पानी और काढ़ा लाभदायक हो सकता है। धूप से आने के तुरंत बाद पंखे या कूलर के सामने बैठने से बचें और भीगे कपड़े तुरंत बदल लें। फल और हरी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं, क्योंकि बारिश न होने से उन पर धूल अधिक जम रही है। हाथ धोने की आदत को भी नियमित बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश वायरल संक्रमण हाथों के माध्यम से ही फैलते हैं। पूरे परिदृश्य के पीछे जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून बड़ी वजह बनकर उभरे हैं। पिछले कुछ वर्षों से मौसम का चक्र लगातार बदल रहा है। कभी समय से पहले बारिश, कभी देर से और कभी सामान्य से बहुत कम वर्षा होने का सीधा असर जनस्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती, तो वायरल संक्रमण का यह दौर और लंबा खिंच सकता है। मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सावधानी, संतुलित खानपान और समय पर उपचार अपनाकर इस संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

ड्रोन उड़ेगा गांव में, हक मिलेगा घर का

प्रत्येक परिवार को उसकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब तहसील स्तर पर ही पूरी हो सकेगी। पहले लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, जहां समय, धन और श्रम तीनों की बर्बादी होती थी। अब तहसीलदार को रजिस्ट्री का अधिकार मिलने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। सरकार का अनुमान है कि इससे स्टाम्प शुल्क के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि अब तक रिकॉर्ड से बाहर रही संपत्तियां भी कानूनी दायरे में आ जाएंगी।

महिलाओं के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संपत्ति कार्ड में पति-पत्नी दोनों के नाम दर्ज करने का प्रभाव नई आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार देगा। इससे परिवार में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी और संपत्ति पर उनका अधिकार भी सुनिश्चित होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। जब किसान के पास अपनी जमीन का वैध दस्तावेज होगा, तब वह आसानी से बैंक से ऋण लेकर खेती में निवेश कर सकेगा और अपनी आय बढ़ा सकेगा।

तकनीक इस पूरी योजना की रीढ़ है। ड्रोन गांव की प्रत्येक छत, सीमा और गली का सटीक सर्वे करेंगे। इसके बाद पूरा डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे पंचायत और राजस्व विभाग उसे आसानी से उपयोग कर सकेंगे। इससे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी और विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी कि नहीं। बैंक ऋण देने से बचते थे, पारिवारिक जरूरतों के समय आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था और जमीन से जुड़े विवाद गांवों में तनाव का

बंदर समाप्त करना नहीं है। जरूरतमंदों को सहायता मिलनी ही चाहिए, लेकिन सहायता लिखित और वित्तीय रूप से टिकाऊ होनी चाहिए। पहला कदम यह होगा चाहिए कि योजनाओं का लाभ केवल वारसविक पात्रों तक सीमित न हो। दूसरा, राज्यों को अपने राजस्व स्रोत मजबूत करने होंगे। तीसरा, केंद्र और राज्यों को मिलकर ऐसी वित्तीय अनुशासन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिसके तहत किसी भी नई योजना की घोषणा से पहले उसके खर्च और वित्तीय स्रोत का स्पष्ट आकलन अनिवार्य हो। जनता को भी यह समझना होगा कि अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन जरूरी है। आरबीआई की यह रिपोर्ट समय रहते चेतने का अवसर है। यदि वित्तीय अनुशासन और विकास के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो बढ़ता कर्ज आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

मुफ्त की रेवड़ी खा गई राज्य का खजाना

कर्ज के बोझ तले दबते राज्यों पर आरबीआई की चेतावनी



पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और ही चिंता का विषय बनी हुई है। कई राज्यों में कर्मचारियों के वेतन और

नियमित खर्च के बाद विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता। इसके बावजूद चुनावी मौसम आते ही नई मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। यह भूल जाना आसान है कि सरकारी धन किसी पेड़ पर नहीं उगता, बल्कि करदाताओं के पैसे से आता है। जब यही धन बिना दीर्घकालिक योजना के खर्च होता है, तो विकास की गति प्रभावित होना स्वाभाविक है।

सबसे गंभीर पक्ष यह है कि मुफ्त सुविधाओं की राजनीति अब जन अपेक्षाओं का हिस्सा बनती जा रही है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज जैसी घोषणाएं लोकप्रिय जरूर लगती हैं, लेकिन इनके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों पर पर्याप्त चर्चा नहीं

होती। बिजली वितरण कंपनियां पहले से घाटे में हैं, फिर भी मुफ्त बिजली देने का बोझ उन्हीं पर डाला जाता है। बाद में सरकारों को उन्हें बचाने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ता है। यही स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। आज राहत के नाम पर लिया गया कर्ज भविष्य में ब्याज के रूप में अगली पीढ़ियों पर बोझ बनकर लौटता है।

इस स्थिति के लिए चुनावी राजनीति भी कम जिम्मेदार नहीं है। चुनावों के दौरान विभिन्न दल एक-दूसरे से बढ़कर घोषणाएं करते हैं। यदि किसी राज्य में कोई योजना लागू होती है, तो दूसरे राज्य में भी वैसी या उससे बड़ी योजना की मांग उठने लगती है। कई बार यह विचार पीछे छूट जाता है कि सरकारी खजाना इसकी अनुमति देता भी है या नहीं। आरबीआई ने भी संकेत दिया है कि लोकलुभावन घोषणाओं के साथ वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना आवश्यक है, अन्यथा इसका दीर्घकालिक असर विकास पर पड़ेगा। समाधान मुफ्त योजनाओं को पूरी